



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 12.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना निघासन पुलिस द्वारा 210 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.04.2021 को थाना निघासन पुलिस द्वारा ग्राम मुन्नूपुरवा, ग्राम रघुनाथपुर, ग्राम कान्दुनपुरवा, ग्राम नौवापुर, ग्राम लखनियापुर व ग्राम चैनपुरवा में अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया और करीब 2000 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियान के दौरान ग्राम चैनपुरवा गांव के पश्चिम स्थित बाग से 02 अभियुक्त 1. रंजीत पुत्र नन्दकिशोर यादव निवासी ग्राम मुन्नूपुरवा कोतवाली निघासन जनपद खीरी 2. परसराम पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम रघुनाथपुर कोतवाली निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से करीब 210 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग विवरण-

मु0अ0सं0 192/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम 1. रंजीत पुत्र नन्दकिशोर यादव निवासी ग्राम मुन्नूपुरवा कोतवाली निघासन जनपद खीरी 2. परसराम पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम रघुनाथपुर कोतवाली निघासन जनपद खीरी

बरामदगी विवरण-

अलग अलग प्लास्टिक की पिपियों में करीब 210 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 लाल बहादुर मिश्र (चौकी प्रभारी ढखेरवा)
- 2.हे0का0 मो0 अली
- 3.हे0का0 रमेश कुमार
- 3.का0 धर्मेन्द्र कुमार
- 4.का0 संदीप कुमार
- 5.का0 धर्मेन्द्र कुमार
- 6.का0 राम सजीवन
- 7.का0 अंकित कुमार

**थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मपाल को अवैध शस्त्र कारतूस सहित
गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मपाल पुत्र अश्रफ़ी लाल निवासी बघमरा थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना हैदराबाद पर मु0अ0सं0 118/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस सहित अभियुक्त सुखदेव सिंह तथा 01 नफर वारंटी अभियुक्त जयप्रकाश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तथा अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा पुत्र गुरदीप सिंह नि० टाटरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। तथा अ०सं० 5352/16 धारा 60 आब० अधि० में वारंटी अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र बाबू रैदास नि० ग्राम सुमेर नगर थाना सम्पूर्णनगर खीरी को गिरफ्तार किया गया।

थाना धौरहरा पुलिस की तत्परता से गोवध कारित करने से पूर्व ही 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान को दौरान थाना धौरहरा पुलिस द्वारा रपटापुल के पास खेत से गोवध कारित करने की फिराक में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद बछड़ा, एवं गोवध कारित करने के विभिन्न उपकरणों को बरामद किया गया। बछड़े को अभियुक्तों के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल गौशाला में दाखिल कराया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना धौरहरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. इस्लाम पुत्र सलारु नि0 रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी
2. निसार उर्फ नईम पुत्र सत्तार नि0 रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी
3. आमिर पुत्र अब्दुल वहीद नि0 रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी

विवरण बरामदगी-

01 अदद बछड़ा, रस्सी, टार्च एवं 03 अदद अवैध चाकू (बांका)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इस्लाम-

1. मु0अ0सं0 187/20 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0
2. मु0अ0सं0 317/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त निसार-

1. मु0अ0सं0 187/20 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0
2. मु0अ0सं0 317/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आमिर-

1. मु0अ0सं0 187/20 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0
2. मु0अ0सं0 317/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट
3. मु0अ0सं0 431/15 धारा 3/5(क)/8 गोवध नि0 अधि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार यादव
2. हे0का0 कुंवर अजीत सिंघल
3. का0 राजेश कुमार
4. का0 सुमित कुमार
5. का0 यशपाल

थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस सहित अभियुक्त बालकराम तथा 04 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तथा अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त बालकराम पुत्र बालिकाप्रसाद नि० ग्राम जम्हौरा थाना निघासन खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। तथा 04 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, विवरण निम्नवत है-

1. रामू पुत्र मुल्लू नि० बिचपरी थाना निघासन खीरी (संबंधित मु०अ०सं० 181/21 धारा 272 भादवि० एवं 60(2) आब०अधि०)
2. अरविन्द पुत्र शिवप्रसाद नि० लालबोड़ी थाना निघासन खीरी (संबंधित मु०अ०सं० 181/21 धारा 272 भादवि० एवं 60(2) आब०अधि०)
3. सुन्दर पुत्र शिवलाल नि० लालबोड़ी थाना निघासन खीरी (संबंधित मु०अ०सं० 182/21 धारा 272 भादवि० व 60(2) आब०अधि०)
4. तीरथराम पुत्र जनार्दन नि० लालबोड़ी थाना निघासन खीरी (संबंधित मु०अ०सं० 183/21 धारा 272 भादवि० एवं 60(2) आब०अधि०)

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 3472/20 धारा 498ए/494/506 भादवि० 3/4 डीपी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त सुरेश चौहान पुत्र मौजीलाल चौहान नि० जेठरा थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चोरी की कार बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 260/21 धारा 379/411/414 भादवि0 से संबंधित कार (वैगन-आर UP 32 CH 4434) बरामद कर अभियुक्तगण 1. सादाब उर्फ सद्दाम हुसैन पुत्र सलीम नि0 मियागंज थाना बिसवां जपनद सीतापुर 2. मुख्तार पुत्र हाजी हनीफ नि0 चौधरी मार्केट मोहल्ला कटरा थाना बिसवां जपनद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया।

**थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गया
गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मितौली पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 80/21 धारा 307/452/323/506 भादवि० में वांछित अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र पच्चा नि० तेंदुआ थाना मितौली खीरी एवं मु०अ०सं० 114/21 धारा 302 भादवि० में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र शिवराम रैदास नि० गाजीपुर थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/21 धारा 147/148/149/342/352/323/504/506/427/171 भादवि0 में वांछित अभियुक्तों 1. सतनाम सिंह पुत्र मलकिरत 2. जसवीर पुत्र सुरया सिंह 3. हरनाम सिंह पुत्र भागती सर्व निवासीगण ग्राम पयटौ थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना भीरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 138/21 धारा 323/504/427 भादवि व 3(2) एस सी / एस टी एक्ट में वांछित अभियुक्त सुरेश सिंह पुत्र ब्रजलाल सिंह निवासी दम्बलटाडा थाना भीरा को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 839/06 धारा 279/304 भादवि में वारंटी अभियुक्त सतीश पुत्र मुरलीप्रसाद निवासी पढ़ान थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 4826/10 धारा 60 एक्साइट एक्ट में वारंटी अभियुक्त अयूष पुत्र हसन निवासी त्रिलोकपुर थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ0सं0 2218/14 धारा 353/132 भादवि में वारंटी अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र अंजली निवासी गोहापुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ0सं0 712/14 धारा 323 भादवि में वारंटी अभियुक्त सुरेन्द्र पाल पुत्र सुमहादीन निवासी अगगरखुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त कमयू पुत्र बाबूराम निवासी हरबन्शपुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **279 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **07 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	210 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना फूलबेहड़	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना पलिया	19 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मैगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	279 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार